



**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-12, सहारनपुर।**

उपस्थित:- निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे0ओ0कोड-यू.पी.1704)

**दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-145/2023**

अभिषेक गुप्ता प्रोपराईटर वेदान्त ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर-1 सेठ मंगतराज मार्केट कटहरा, बालमुकुन्द मोरगंज, सहारनपुर।

.....पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी।

**बनाम**

1- उत्तर प्रदेश सरकार।

2- पारस ट्रेडर्स पता-7/1337/2 मोरगंज निकट भगत सिंह चौक, सहारनपुर द्वारा प्रोपराईटर।

3- सीमा जैन प्रोपराईटर पारस ट्रेडर्स पता-7/1337/2 मोरगंज निकट भगत सिंह चौक, सहारनपुर।

.....विपक्षीगण।

**आदेश**

1. पुनरीक्षणकर्ता अभिषेक गुप्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान अपर सिविल जज (जू0डि0)-प्रथम/जे0एम0, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0-516/2022 अभिषेक गुप्ता बनाम पारस ट्रेडर्स आदि में पारित आदेश दिनांकित 24.02.2023 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी का परिवाद धारा-203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया गया है।

2. जिस प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अभिषेक गुप्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण के विरुद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी अभिषेक गुप्ता वेदान्त ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से सरसो के तेल कारोबार करता है तथा उक्त फर्म का प्रोपराईटर है। विपक्षी ने प्रार्थी फर्म से अलग अलग तारीखों पर अलग अलग बिल के माध्यम से उधार खरीदारी की तथा विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थी के 1,35,150/- रुपये बकाया थे तथा उपरोक्त बिलों का जी0एस0टी0 तथा एस0जी0एस0टी0 का भुगतान भी प्रार्थी द्वारा कराया गया था तथा विपक्षीगण प्रार्थी को उपरोक्त धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा विपक्षीया संख्या-2 प्रार्थी को जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन देती रही, परन्तु विपक्षीया संख्या-2 ने आज तक भी प्रार्थी को उपरोक्त बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया तथा उपरोक्त धनराशि विपक्षी के पास प्रार्थी की बतौर अमानत है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी की नीयत में शुरु से फर्क था तथा विपक्षी प्रार्थी को सदोष हानि पहुंचाने तथा स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाना चाहते थे, इसलिए विपक्षी ने झूठ बोलकर प्रार्थी से सामान उधार लिया। दिनांक 08.02.2021 को शाम लगभग 07:00 बजे जब प्रार्थी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तब वहां पर कुछ व्यक्ति आये तब वहां पर अरिहन्त इलैक्ट्रिक वर्क्स के प्रोपराईटर रविन्द्र कुमार जैन भी थे और सबने मिलकर

प्रार्थी को धमकी दी कि यदि प्रार्थी ने विपक्षी से बकाया पैसे मांगने की कोशिश की तो वह प्रार्थी का अपहरण करवा देंगे और जान से मरवा देंगे। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में विपक्षी को एक नोटिस दिनांक 10.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया और 15 दिन के अन्दर अपनी उपरोक्त धनराशि की मांग की परन्तु विपक्षीगण ने नोटिसी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भी प्रार्थी की धनराशि का भुगतान नहीं किया और अब विपक्षीगण प्रार्थी को अपहरण कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाने हेतु थाने पर गया और एक तहरीर हाथ से लिखकर थाने पर दी परन्तु थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्पश्चात् प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं०धारा 156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाकर घटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

3. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी जिसके अनुसार कथित घटना के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं पाया गया। मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी ने उक्त परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा-200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत तथा धारा-202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्ल्यू०-1 रूपेश कुमार को परीक्षित कराया गया।

4. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० तथा धारा-202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी के साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन करने एवं परिवादी को सुनने के उपरान्त आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 के माध्यम से परिवादी का उक्त परिवाद धारा-203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त कर दिया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

5. उक्त आदेश के विरुद्ध प्रश्नगत पुनरीक्षण निम्न आधारों पर योजित की गयी है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश विधि विरुद्ध तरीके से बिना तथ्यों को देखे पारित कर दिया है, जो अपास्त होने योग्य है। विपक्षी सं०-2 व 3 ने पुनरीक्षणकर्ता से उधार सामान लिया था तथा उसने वायदा किया था कि वह पुनरीक्षणकर्ता के पैसे लौटा देगा, लेकिन उसने पैसा नहीं लौटाया तथा पुनरीक्षणकर्ता ने पैसे की मांग की तो विपक्षीगण ने पुनरीक्षणकर्ता को धमकी दी। पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी प्रार्थना पत्र में स्पष्ट तौर से लिखा था कि विपक्षी सं०-2 व 3 की नीयत में शुरू से ही फर्क था और वह पुनरीक्षणकर्ता को धोखा देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसके द्वारा जो चैक दिया गया था, वह भी अनादृत हो गया था। प्रार्थना पत्र अं०धारा 156(3) दं०प्र०सं० में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त परिवाद में अं०धारा 200 दं०प्र०सं० के तहत अपने बयान दर्ज कराये तथा अं०धारा 202 दं०प्र०सं० के तहत बिलों की सत्य प्रतिलिपि परिवाद उक्त में दाखिल की तथा अं०धारा 202 दं०प्र०सं० में रूपेश कुमार के भी बयान दर्ज कराये, उसने भी पुनरीक्षणकर्ता के कथनों का समर्थन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद केवल यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि उपरोक्त परिवाद में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है तथा ये पैसे के लेन देन का मामला होने के कारण सिविल प्रकृति का है। वस्तुतः उपरोक्त अपराध कागजात

से सिद्ध हो सकता है तथा जो सामान पुनरीक्षणकर्ता ने विपक्षी सं० 2 व 3 को दिया था, उसके बिल पुनरीक्षणकर्ता के पास हैं। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि विपक्षी सं० 2 व 3 की नीयत में शुरु से फर्क था और वह धोखा देकर पुनरीक्षणकर्ता के पैसे हड़पना चाहते थे, जो पूरी तरह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406 के तहत दण्डनीय अपराध है। विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के साक्षी को नजर अन्दाज किया गया है। हर एक पैसे के लेन देन का विवाद सिविल प्रकृति का नहीं हो सकता। इस घटना में पुनरीक्षणकर्ता के साथ धोखाधड़ी हुई है। अतः उपरोक्त पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर परिवाद को स्वीकारने तथा विपक्षी सं० 2 व 3 को विचारण के लिये तलब किये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

6. पर्याप्त समय देने के उपरांत भी विपक्षीगण 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पुनरीक्षण पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं०-1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं०-2 व 3 ने पुनरीक्षणकर्ता से उधार सामान लिया था, विपक्षी सं०-2 व 3 की नीयत में शुरु से ही फर्क था और वह पुनरीक्षणकर्ता को धोखा देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता था। हर एक पैसे के लेन देन का विवाद सिविल प्रकृति का नहीं हो सकता। इस घटना में पुनरीक्षणकर्ता के साथ धोखाधड़ी हुई है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी गयी है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनता है। अतः विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।

8. विपक्षी सं०-1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा मौखिक रूप से तर्क दिया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उक्त पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र व परिवादी के बयान अं०धारा 200 दं०प्र०सं० में घटना के तथ्य में विरोधाभास तथा मामला सिविल प्रकृति का होने के कारण परिवाद को अं०धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किया गया।

10. परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के माध्यम से कथन किया गया कि उसके व विपक्षीगण के मध्य सरसों के तेल, रिफाइन्ड तथा वनस्पति तथा अन्य प्रकार के एडिबल ऑयल के विक्रय का सौदा हुआ था। उक्त सौदा अलग-अलग तिथियों पर हुआ था तथा विपक्षीगण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई नगद भुगतान नहीं किया गया। विपक्षीया प्रार्थी को जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन देती रही, परन्तु विपक्षीया ने आज तक भी प्रार्थी को उपरोक्त बकाया धनराशि मु० 1,35,150/- रुपये का भुगतान नहीं किया। दिनांक 08.02.2021 को शाम लगभग 07:00 बजे जब प्रार्थी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तब वहां पर कुछ व्यक्ति आये और प्रार्थी को धमकी दी कि यदि प्रार्थी ने विपक्षी से बकाया पैसे मांगने की कोशिश की तो वह प्रार्थी का अपहरण करवा देंगे और जान से मरवा देंगे। प्रार्थी ने विपक्षी को एक नोटिस दिनांक 10.02.2021 को प्रेषित किया और अपनी उपरोक्त धनराशि की मांग की परन्तु विपक्षीगण ने नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी

प्रार्थी की धनराशि का भुगतान नहीं किया और विपक्षीगण प्रार्थी को अपहरण कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवादी द्वारा विपक्षी को कुल 1,35,150/- रुपये का सामान दिया गया तथा उक्त धनराशि का भुगतान उसके उपर शेष है। इस सम्बन्ध में विपक्षी से पूछने पर उसके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। थाने पर तहरीर देने के उपरांत कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करने के उपरांत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

11. विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को सिविल प्रकृति का मानते हुए परिवाद को अंधारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किया गया। यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही घटनाक्रम से दोनों तरह सिविल व फौजदारी प्रकृति के दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। यह सही है कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य पैसों के लेन-देन का विवाद होना बताया गया है। जो कि आपराधिक प्रकृति का भी हो सकता है। किन्तु आपराधिक मुकदमा योजित करने से पूर्व प्रस्तुत प्रकरण में यह अवधारित करना आवश्यक है कि प्रकरण में आपराधिक तत्व भी निहित हों।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **S.N. Vijya Laxmi Vs. State of Karnataka 2025 INSC 917** में अवधारित किया है कि—

"In the absence of the element of criminality, if both civil and criminal cases are allowed to continue, it will definitely amount to abuse of the process of the Court, which the Courts have always tried to prevent by putting a stop to any such criminal proceeding, where civil proceedings have already been instituted with regard to the same issue, and the element of criminality is absent. If such element is absent, the prosecution in question would have to be quashed."

13. परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में कथन किया है कि "ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी की नीयत में शुरू से ही फर्क था तथा विपक्षी प्रार्थी को सदोष हानि पहुंचाने तथा स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाना चाहते थे। इसलिए विपक्षी ने झूठ बोलकर प्रार्थी से सामन उधार लिया।" परिवादी द्वारा अपने बयान अंधारा 200 दं०प्र०सं० में अमानत में ख्यात अथवा धोखाधड़ी के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। पक्षकारों के मध्य खाद्य तेल के क्रय-विक्रय का व्यवसाय था। जिसके अनुक्रम में परिवादी द्वारा उधार पर विपक्षीगण को तेल विक्रय किया गया। क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में मात्र रसीद सं० 182 दिनांकित 08.11.2020, रसीद सं० 197 दिनांकित 22.11.2020 व रसीद संख्या 225 दिनांकित 30.11.2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। परिवादी द्वारा कुल बकाया धनराशि मु० 1,35,150/- के सम्बन्ध में सम्पूर्ण रसीदें प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसे में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में आपराधिक तत्व का अभाव है। जहां तक घटना दिनांक 08.02.2021 की प्रश्न है, परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा अरिहन्त इलेक्ट्रिक वर्क्स के प्रोपराईटर रविन्द्र कुमार जैन द्वारा धमकी देने का कथन किया है, किन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र पारस ट्रेडर्स तथा उसकी प्रोपराईटर सीमा जैन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। घटना दिनांक 08.02.2021 व उससे पूर्व की होने का कथन किया गया है, किन्तु पुलिस अधीक्षक को पत्र लगभग 06 माह के उपरांत दिनांक 20.09.2021 को प्रेषित किया गया है। जिसका कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **Krishnalal Chawla Vs. State of U.P. AIR 2021 SC 1381** में अवधारित किया है कि—

“16. That the Trial Judge has a duty under the Constitution and the CrPC, to identify and dispose of frivolous litigation at an early stage by exercising, substantially and to the fullest extent, the powers conferred on him.”

...

“18. As aforesaid, the trial courts and the Magistrates have an important role in curbing this injustice. They are the first lines of defence for both the integrity of the criminal justice system, and the harassed and distraught litigant. We are of the considered opinion that the trial courts have the power to not merely decide on acquittal or conviction of the accused person after the trial, but also the duty to nip frivolous litigations in the bud even before they reach the stage of trial by discharging the accused in fit cases. This would not only save judicial time that comes at the cost of public money, but would also protect the right to liberty that every person is entitled to under Article 21 of the Constitution. In this context, the trial Judges have as much, if not more, responsibility in safeguarding the fundamental rights of the citizens of India as the highest court of this land.”

15. अभियुक्त को आपराधिक मामले में विचारण हेतु आहूत किया जाना एक गम्भीर विषय है। सरसरे तौर पर अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किया जाना विधि संगत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों के उचित मूल्यांकन के आधार पर तर्कसंगत आदेश पारित किया है।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है और प्रश्नगत आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार से परे जाकर अथवा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का कोई भी तथ्य परिलक्षित नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश के परिशीलन से यह भी विदित नहीं होता है कि उन्होंने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष अवधारित करके प्रश्नगत आदेश पारित किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। जो भी तथ्य व तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2023 विधिसम्मत है। तदनुसार हस्तगत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

17. पुनरीक्षणकर्ता अभिषेक गुप्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण **निरस्त** की जाती है। विद्वान अपर सिविल जज (जू0डि0)—प्रथम/जे0एम0, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0—516/2022 अभिषेक गुप्ता बनाम पारस ट्रेडर्स आदि के मामले में पारित आदेश दिनांकित 24.02.2023 की पुष्टि की जाती है।

(6)

18. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को इस निर्णय व आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

19. तदोपरान्त पुनरीक्षण पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांक-07.08.2026

(निशान्त देव)  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं0-12, सहारनपुर।  
JO Code-UP1704

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-07.08.2026

(निशान्त देव)  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं0-12, सहारनपुर।  
JO Code-UP1704